न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 133 / 2015 तारीख रजु 26.10.2015

उनवान

श्रीमन पुत्र हीरालाल वगैरह जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील हिण्डौन जिला करौली।

——वादीगण(02)

बनाम

सियाराम पुत्र तेजराम वगैरह, जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील हिण्डोन जिला करौली।

———प्रतिवादी(13)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 20.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा तकास्मा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्थित कस्बा ग्राम हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डोन के खसरा न. 3191,3192,3300,3301,3302,3303,के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 22.01.2020 को साक्ष्यवादी की स्टेज पर पेश हुई । बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 133 / 2015 श्रीमन बनाम सियाराम अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 14:34:19 IST
Reason: SelfAttested